राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 314/2018

श्रीमती नीलम श्रीवास्तव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, भरतपुर।
3. अति. जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी, कुम्हेर, जिला भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.04.2018
आदेश की दिनांक : 08.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खांण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 07.09.2015 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि जो 107 उपार्जित अवकाश स्वीकृत किए गए हैं, उनको मेडिकल अवकाश स्वीकृत किया जावे तथा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.10.2016 के अनुसार अपीलार्थी को बोनस का भुगतान किया जावे तथा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 के अनुसार अपीलार्थी को बेसिक पे रूपये 18,300/– मानते हुए समस्त ऐरियर का भुगतान किया जावे तथा 18 वर्षीय एसीपी के लाभ पर दिनांक 13.12.2013 से रूपये 19,450/– मानते हुए समस्त एरियर का भुगतान 12 प्रतिशत ब्याज सहित किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर दिसम्बर, 1995 में की गई थी, उसके पश्चात् अपीलार्थी की 60 वर्ष की आयु होने पर दिनांक 30.06.2016 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया गया तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात् अपीलार्थी को अदेयता प्रमाण

पत्र भी जारी किया गया। अपीलार्थी ने वर्ष 2004 से वर्ष 2011 के बीच में लगभग 180 दिवस के मेडिकल अवकाश लिए थे, जिनका उल्लेख उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज है। अपीलार्थी ने जब–जब भी मेडिकल अवकाश लिए, उसी समय प्रत्यर्थीगण को आरोग्य प्रमाण पत्र व फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे, उसके पश्चात् ही अपीलार्थी को कार्यग्रहण करवाया तथा मेडिकल अवकाश स्वीकृत किए गए तथा अपीलार्थी को मेडिकल अवकाश स्वीकृत करने के बाद ही मेडिकल अवकाश का लाभ दिया गया तथा वेतन का भुगतान भी किया गया था। परंतु मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा अपीलार्थी के मेडिकल अवकाशों का इंद्राज सर्विस बुक में नहीं किया गया तथा आरोग्य प्रमाण पत्रों व फिटनेस प्रमाण पत्रों को भी रिकार्ड में नहीं लगाया गया, जिस पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कुम्हेर, भरतपुर ने दिनांक 28.05.2012 को एक पत्र जारी किया, जिसमें यह अंकित किया कि अपीलार्थी के द्वारा वर्ष 2004 से 2011 के मध्य जो अवकाश लिए हैं, उनका सेवा पुस्तिका में इंद्राज नहीं हैं, जिनके बाबत् संबंधित लिपिकों को कारण बताओं नोटिस दिया गया, संबंधित लिपिक ने मौखिक बताया कि पूर्व लिपिक ने अवकाश का इंद्राज नहीं किए और न ही कोई अवकाश आवेदन पत्र मिले। इस प्रकार इस अनियमितताओं के लिए भी श्री अमित सक्सेना, श्री योगेश सहगल एवं श्री कुंज बिहारी शर्मा, कनिष्ठ लिपिक दोषी हैं। इसलिए अपीलार्थी आरोग्य प्रमाण पत्र पुनः भिजवाए, जिससे सर्विस बुक में इंद्राज किया जा सके। अपीलार्थी ने उक्त पत्र का दिनांक 16.04.2012 एवं 01.06.2012 को जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी ने समय–समय पर समस्त प्रमाण पत्र एवं अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए थे, उसी कारण अपीलार्थी को अवकाश का वेतन भी दिया गया है तथा मेडिकल अवकाश चिकित्सक की सलाह पर लिया जाता है तथा अपीलार्थी के द्वारा आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण करवाया जाता है, जिसका उल्लेख उपस्थिति पंजिका में दर्ज है, परंतु तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक की लापरवाही के कारण अपीलार्थी की सर्विस बुक में इंद्राज नहीं किया गया तथा आरोग्य प्रमाण पत्रों को इधर–उधर किया गया। जबकि अपीलार्थी की सर्विस बुक में 107 मेडिकल अवकाश शेष थे। उसके पश्चात अपीलार्थी ने दिनांक 09.09.2015, 26.10.2015, 15.12.2015 एवं 15.02.2016 को भी अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त तथ्यों से अवगत कराया गया। परंतु प्रत्यर्थीगण ने आलोच्य आदेश दिनांक 07.09.2015 के द्वारा अपीलार्थी के बिना किसी दोष के वर्ष 2004 से 2011 के मध्य जो अवकाश लिए गए थे, उनको उपार्जित अवकाश में परिवर्तित किया गया, जो विधि विरूद्ध है

तथा अपीलार्थी के बिना किसी दोष के मेडिकल अवकाशों को उपार्जित अवकाशों में परिवर्तित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध है। इसलिए अपीलार्थी को वर्ष 2004 से 2011 के मध्य जो मेडिकल अवकाश लिए थे, उनको परिवर्तित नहीं किया जावे।

राज्य सरकार ने दिनांक 17.10.2016 को यह आदेश जारी किए थे कि जो कर्मचारी दिनांक 31.03.2016 तक सर्विस में हैं, जिनकी ग्रेड पे 4800 या उससे कम हैं, वे अस्थाई बोनस प्राप्त करने के अधिकारी हैं। परंतु उक्त ग्रेड पे में कार्यरत होने के बावजूद अपीलार्थी को राज्य सरकार के उक्त आदेश के अनुसार आज तक बोनस का भुगतान नहीं किया गया है तथा राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 के अनुसार अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2013 से प्रत्यर्थीगण द्वारा बेसिक पे रूपये 18,300/– पर फिक्स किया गया था। परंतु उक्त फिक्सेशन करने के बावजूद अपीलार्थी को वेतन का भुगतान रूपये 17,120/– बेसिक पे मानकर किया गया। जबकि अपीलार्थी दिनांक 01.07.2013 से रूपये 18,300/– बेसिक पे के आधार पर समस्त ऐरियर प्राप्त करने की अधिकारी है तथा प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 23.12.2013 से 18 वर्षीय एसीपी का लाभ दिया गया तथा अपीलार्थी का वेतन रूपये 19,450/– पर फिक्स किया गया, जिसका उल्लेख सर्विस रिकार्ड में मौजूद है। परंतु उक्त दिनांक से अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति तक रूपये 18,300/– बेसिक पे से वेतन का भुगतान किया गया जबकि अपीलार्थी दिनांक 23.12.2013 से रूपये 19,450/– बेसिक पे के आधार पर समस्त एरियर का भुगतान प्राप्त करने की अधिकारी है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 07.09.2015 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि जो 107 उपार्जित अवकाश स्वीकृत किए गए हैं, उनको मेडिकल अवकाश स्वीकृत किया जावे तथा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.10.2016 के अनुसार अपीलार्थी को बोनस का भुगतान किया जावे तथा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 के अनुसार अपीलार्थी को बेसिक पे रूपये 18,300/– मानते हुए समस्त ऐरियर का भुगतान किया जावे तथा 18 वर्षीय एसीपी के लाभ पर दिनांक 13.12.2013 से रूपये 19,450/– मानते हुए समस्त एरियर का भुगतान 12 प्रतिशत ब्याज सहित किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2004 से 2011 के

मध्य में जो मेडिकल अवकाश लिए थे, उनमें से जिस अवधि के प्रमाण पत्र अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए, उन्हें स्वीकार कर वेतन आहरित किया गया, परंतु बकाया मेडिकल प्रमाण पत्र बाबत् अपीलार्थी को पत्र जारी किया गया कि अपीलार्थी के 107 दिवस के मेडिकल अवकाश प्रमाण पत्र न तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हैं और न ही विद्यालय में मौजूद हैं। इसलिए आदेश दिनांक 07.09.2015 अपीलार्थी के मेडिकल प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण विधि सम्मत पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 की पालना में दिनांक 01.07.2013 से बेसिक पे रूपये 18,300/– पर फिक्स किए जाने के बावजूद अपीलार्थी को भुगतान रूपये 17,120/– बेसिक पे मानते हुए किया गया है तथा अपीलार्थी को 18 वर्षीय एसीपी का लाभ दिनांक 23.12.2013 से देने के आदेश होने के बावजूद अपीलार्थी को रूपये 19,400/– पर फिक्स करने के बावजूद अपीलार्थी को उक्त आधार पर वेतन का भुगतान नहीं किया गया है तथा उक्त अनुतोष हेतु प्रत्यर्थी विभाग ने वेतनमान स्थिरीकरण मूल स्टेटमेण्ट व कार्यालय आदेश एसीपी स्वीकृति आदेश उपलब्ध कराने हेतु लिखा था। जिस पर अपीलार्थी ने ड्यू ड्रॉन स्टेटमेण्ट बनाते हुए समस्त दस्तावेजों के साथ प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया था। परंतु प्रत्यर्थीगण ने आज तक भी उक्त लाभों का भुगतान नहीं किया तथा अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण को मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही नियमानुसार विद्यालय में मेडिकल अवकाश के पश्चात् सीकनेस व फिटनेस प्रमाण पत्र देने के बाद ही नियमानुसार कार्यग्रहण करवाया जाता है। अपीलार्थी द्वारा आरोग्य प्रमाण पत्र वर्ष 2004 से 2011 के मध्य लिए गए मेडिकल अवकाश के प्रस्तुत किए थे। अपीलार्थी को मेडिकल अवकाश के बदले वेतन का भुगतान किया गया था। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने दोषी कर्मचारियों को दण्डित करने के बजाय अपीलार्थी को दण्ड देने के आशय से आलोच्य आदेश जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध एवं मनमाना है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद से दिनांक 30.06.2016 को राजकीय सेवा से

सेवानिवृत्त हुई है तथा वर्ष 2004 से 2011 के मध्य जो अपीलार्थी द्वारा मेडिकल अवकाश लिए थे, उनका वेतन का भुगतान भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किया गया है, अगर अपीलार्थी के द्वारा मेडिकल अवकाश के संबंधित आरोग्य प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं किए गए थे तो विभाग के जिम्मेवार कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अपीलार्थी को किस आधार पर वर्ष 2004 से 2011 के मध्य जो 180 मेडिकल अवकाश लिए गए थे, वे किस आधार पर स्वीकृत किए गए तथा किस आधार पर वेतन का भुगतान किया गया। नियमानुसार किसी भी कर्मचारी द्वारा मेडिकल अवकाश के पश्चात् वापिस कार्यग्रहण करने पर मेडिकल आरोग्य प्रमाण पत्र व फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण करवाया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को दिए गए पत्र दिनांक 28.05.2012 में भी यह उल्लेख किया है कि *संबंधित लिपिक ने मौखिक में बताया है कि पूर्व में कार्यरत लिपिकों ने अवकाश इंद्राज नहीं किए। इस प्रकार इस अनियमितता के लिए तत्कालीन लिपिक श्री अमित सक्सेना, श्री योगेश सहगल एवं श्री कुंज बिहारी शर्मा दोषी हैं, के विरूद्ध विभाग ने क्या कार्यवाही की,* इसका उल्लेख प्रत्यर्थी विभाग ने अपने जवाब में अंकित नहीं किया है, केवल मात्र तत्कालीन लिपिक की लापरवाही करने के कृत्य के कारण अपीलार्थी को दोषी नहीं बनाया जा सकता है। सर्वप्रथम सभी अवकाश प्रार्थना पत्रों को नियमानुसार रिकार्ड में रखा जाना चाहिए, जिसके लिए अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता हैं तथा अपीलार्थी के बिना दोष के आलोच्य आदेश दिनांक 07.09.2015 के द्वारा अपीलार्थी के सेवाभिलेख में करीब 107 मेडिकल अवकाश शेष होने के बावजूद उपार्जित अवकाश स्वीकृत किए गए हैं, जो विधि एवं नियमों के विरूद्ध, मनमाना एवं पक्षपातीपूर्ण है। इसलिए अपीलार्थी वर्ष 2004 से 2011 के मध्य 180 अवकाशों में से 107 जो मेडिकल अवकाश अपीलार्थी के बनते हैं, उनका नियमानुसार उपार्जित अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए तथा उन्हें अपीलार्थी का मेडिकल अवकाश ही मानते हुए 107 मेडिकल अवकाशों का जो उपार्जित अवकाशों में परिवर्तन किया गया है, वह विधि एवं नियमों के विरूद्ध प्रकट होता है। इसलिए अपीलार्थी 107 उपार्जित अवकाशों का नकद भुगतान प्राप्त करने की अधिकारी है तथा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.10.2016 के अनुसार अपीलार्थी ग्रेड पे रूपये 4800 में कार्यरत होने के कारण बोनस भी प्राप्त करने का अधिकारी है।

हम अपीलार्थी के इस तर्क से भी सहमत हैं कि प्रत्यर्थी विभाग ने पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 के अनुसार दिनांक 01.07.2013 से अपीलार्थी को बेसिक पे

रूपये 18,300/– पर फिक्स किया गया था, परंतु अपीलार्थी को रूपये 17,120/– बेसिक पे मानते हुए वेतन का भुगतान किया गया है, जो वेतनमान नियम के अंतर्गत नहीं हैं। इस प्रकार अपीलार्थी दिनांक 01.07.2013 से उक्त पुनरीक्षित वेतनमान में रूपये 18,300/– बेसिक पे के आधार पर वेतन का समस्त ऐरियर प्राप्त करने की अधिकारी है तथा 18 वर्ष की सेवा पर दिनांक 23.12.2013 से प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को रूपये 19,450/– पर फिक्स किया गया था, परंतु अपीलार्थी को उक्त दिनांक को रूपये 18,300/– बेसिक पे के आधार पर वेतन का भुगतान किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी नियमानुसार दिनांक 23.12.2013 से रूपये 19,450/– बेसिक पे के आधार पर समस्त वेतन का ऐरियर प्राप्त करने की अधिकारी है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.09.2015 के द्वारा जो अपीलार्थी के वर्ष 2004 से 2011 के मध्य 107 मेडिकल अवकाश स्वीकृत किए जावें तथा उक्त अवधि का उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान अपीलार्थी को नियमानुसार किया जावे तथा अपीलार्थी को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.10.2016 के अनुसार दीपावली बोनस का भुगतान भी नियमानुसार किया जावे तथा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 के अनुसार अपीलार्थी को बेसिक पे रूपये 18,300/– मानते हुए समस्त ऐरियर का भुगतान एवं 18 वर्षीय एसीपी के लाभ पर दिनांक 13.12.2013 से रूपये 19,450/– मानते हुए समस्त एरियर का भुगतान नियमानुसार किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य